न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
1. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2366 सन 2026
CNR No. UPSP 01006119 2026

1.तनवीर पुत्र जमशैद
2.जुनैद पुत्र खुरशैद
निवासीगण ग्राम कलालहटी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। .....विपक्षी।

2. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2410 सन 2026
CNR No. UPSP 01006153 2026

फैजान पुत्र लतीफ निवासी ग्राम कलालटी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। .....विपक्षी।

मु0अ0सं0– 145/2026
धारा–109(1),191(2),191(3),115(2) 352,351(2),3(5) बी0एन0एस0
थाना–फतेहपुर सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

05.06.2026

उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–145/2026 थाना फतेहपुर सहारनपुर से सम्बन्धित होने के कारण उक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्रो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **तनवीर, जुनैद एवं फैजान** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण तनवरी एवं जुनैद दिनांक 23.05.2026 तथा अभियुक्त फैजान दिनांक 30.05.2026 से कारागार में निरूद्ध हैं।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ उस्मान अली एवं फैज अली का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2026 को ग्राम कलालहटी में दो पक्षो के मध्य झगडा होने की सूचना पर उपनिरीक्षक मशकूर अली थाना से रपट सं0–42 समय 18:05 बजे मय हमराहीयान रवाना होकर ग्राम कलालहटी में पहुॅचे तो प्रथम पक्ष के खुरशैद, नौशाद, गुलबहार, तनवीर, हुसैन, जुनैद, सलमान व द्वितीय पक्ष के अरशद, परवेज, गुडडू, फैजान, शाहरून व दो तीन अज्ञात व्यक्तियो द्वारा आपसी पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर एक दूसरे को गाली गलोच करते व जान से मारने की धमकी देते हुए, एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से लाठी, डण्डे, फावडो तथा ईट पत्थरो से वार कर रहे थे। घटना में दोनो पक्षो के लोगो के सिर व शरीर के अन्य जगहो पर चोटे आयी। दोनो पक्षो के आहतो का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है।

वादी मशकूर अली उपनिरीक्षक की उक्त जुबानी सूचना के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि उन्हे इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। पक्षकारो एक ही परिवार के सदस्य है तथा उनके मध्य अपासी जमीन को लेकर कहा सुनी होने के आधार पर पुलिस द्वारा यह मनमाने तरीक से ये झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पक्षकारो के मध्य अब कोई विवाद नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण तनवीर व जुनैद इस मामले में दिनांक 23.05.2026 से व अभियुक्त फैजान दिनांक 02.06.2026 से इस मामले में कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण की ओर से उन्हे इस मामले में जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा दूसरे पक्ष के लोगो के साथ गाली गलोच करते हुए जान से मारने की नीयत से लाठी, डण्डे, फावडो तथा ईट पत्थरो से वार कर उपहति कारित करने व जान से मारने की धमकी देने के सन्दर्भ में थाना पर प्राप्त जुबानी सूचना के आधार पर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत की गयी है। केस डायरी पर उपलब्ध **अरशद** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत के खोपडी पर पीछे की ओर लेस्रेटिड वून्ड, पेट व बाजू में दर्द की शिकायत के रूप में कुल तीन चोटे पाया पाया जाना, आहत की सिर की चोट के सन्दर्भ में सी0टी0 की सलाह दिया जाना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत अरशद की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत के पेट की चोट को साधारण प्रकृति का होना अभिलिखित है तथा आहत के सिर की चोट के सम्बन्ध में कोई सी0टी0स्कैन आख्या इस स्तर तक केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है। आहत **गुलबहार** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में स्केपूलर रीजन में कन्टूयजन, दाहिनी बाजू, बायी बाजू, दहिने हाथ की कलाई पर कन्टयूजन, व ट्रामेटिक स्वेलिग की चोटे, आहत की दाहिने हाथ की कलाई की चोट के सन्दर्भ में एक्स–रे की सलाह दिया जाना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत गुलबहार की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसकी कलाई की चोट में अलना बोन का फैक्चर पाये जाने के कारण उसकी उक्त चोट को गम्भीर प्रकृति का होना अभिलिखित है। **आहत जुनैद** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत के चेहरे पर ट्रामेटिक स्वेलिग, खोपडी के ऊपरी हिस्से पर लेस्रेटिड वून्ड, खेपडी पर पीछे की ओर ट्रामेटिक स्वेलिग, दाहिनी बाजू पर कोहनी के ऊपर व बायी बाजू पर एर्बेजन तथा पैर में दर्द की शिकायत की चोटे पाया जाना व आहत की चेहरे की चोट के सन्दर्भ में एक्स–रे तथा सिर की चोट के सन्दर्भ में सी0टी0 की सलाह दिया जाना अभिलिखित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके चेहरे की मैस्सिला बोन में फैक्चर पाये जाने के कारण आहत की उक्त चोट गम्भीर प्रकृति की होना अभिलिखित है। आहत की सिर की चोट के सन्दर्भ में कोई सी0टी0स्कैन आख्या केस डायरी पर उपलब्ध होना दर्शित नहीं है। **आहत वारिस** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में बायी कलाई के जोड पर ट्रामेटिक स्वेलिंग, बाये बाजू पर रेड कन्टयूजन की चोट तथा आहत की कलाई की चोट के सन्दर्भ में एक्स–रे की सलाह दिया जाना अंकित है। आहत वारिस की कोई एक्स–रे या पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या इस स्तर तक केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है। आहत **हुसैन** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसकी खोपडी, माथे पर लेस्रेटिड वून्ड, बायी बाजू व दाये कन्धे पर एबरेजन व कन्टयून व बाये हाथ में दर्द की शिकायत की चोटे पाया जाना तथा आहत की सिर व बाये हाथ की चोट के सन्दर्भ में एक्स–रे की सलाह दिया जाना अंकित है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत हुसैन की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके बाये हाथ की हडडी में फैक्चर पाये जाने के कारण उसके बाये हाथ की चोट गम्भीर प्रकृति की होना अभिलिखित है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है किसी भी आहत के शरीर के किसी मर्मस्थल पर कोई अस्थि भंग की चोट नहीं पायी गयी है। अभियुक्तगण तनवरी एवं जुनैद इस मामले में दिनांक 23.05.2026 से एवं अभिुक्त फैजान दिनांक 30.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना

अभिलिखित नहीं है। प्रस्तुत मामले में सह अभियुक्तगण खुरशैद एवं हुसैन की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 01.06.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।

अतः उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण **तनवीर, जुनैद एवं फैजान** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन चालीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उन्हे निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

1.मामले के प्रत्येक सुनवाई पर प्रार्थी/अभियुक्तगण स्वँय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।

2.आवेदक/अभियुक्तगण आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–351बी0 एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

3.साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

4.अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(सतेन्द्र कुमार)
दिनांक 05.06.2026 **सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।**
I.D.UP-1891